बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–13–51/2012 – 3012 /पटना, दिनांक– 24/7/12

प्रेषक,

अरूण कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

उ० ऐक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के अन्तर्गत धनाव गांव के पास उत्तर कोयल नहर में दो पथों को जोड़ने तक पुल निर्माण हेतु 140.239 लाख रूपये (एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार नौ सौ रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के अन्तर्गत धनाव गांव के पास उत्तर कोयल नहर में दो पथों को जोड़ने तक पुल निर्माण हेतु 140.239 लाख रूपये (एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार नौ सौ रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को एक वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. योजना के ~~लिए कार्यपालक~~ अभियंता, से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी और उसके अनुरूप कार्यों के समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जायेगा।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
4. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
5. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड P–4515001030105 एवं स्कीम कोड–5369 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में **282.5445** लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, औरंगाबाद एवं मुख्य अभियंता–1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–07/2011 के पृ0 सं0–70, 74/प0 पर दिनांक–18.04.12 को किया गया है।

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–13–51/2012 में दिनांक 09.07.12 को संचिका के पृ0 3/टि0 पर प्राप्त है।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 के आलोक में आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–13–51/2012 के पृष्ठ संख्या– 6/टि0 पर दिनांक– 19.07.12 को प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–13–51/2012–3012 /पटना, दिनांक– 24/7/12

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–13–51/2012 3012 /पटना, दिनांक– 24/7/12

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव